08.01.13
124

JS. [illegible] -JD

-3 JAN 2013

कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14317/938 **दिनांकः–** 24.12.12

S.O.9

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

9/1/13

महाशय,

नगर पंचायत जनकपुर रोड के वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 06/12–13 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें, साथ ही पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन भी प्रेषित करवाया जाय क्योंकि अनुपालन नहीं किए जाने से लेखापरीक्षा का उद्देश्य निष्फल हो जाता है।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,
26/12/12
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

123/1
9/1/13

06
11/01/13

नगर पुंचायत जनकपुर रोड
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–06/12–13
(अवधि– 2009–10 से 2010–11 तक)

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, जनकपुर रोड (सीतामढी) के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2010–11 की अवधि हेतु कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, बिहार, पटना के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 23.03.12 से 31.03.12 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	नाम	कार्यावधि
	अध्यक्ष	
(क)	श्रीमती शैल देवी	1.04.09 से 11.03.10 तक
(ख)	श्री मनोज कुमार यादव	12.03.10 से 31.03.11 तक
	उपाध्यक्ष	
(क)	श्री दिनेश भारती	1.04.09 से 11.03.10 तक
(ख)	श्रीमती नीलम देवी	12.03.10 से 31.03.11 तक
	कार्यपालक पदाधिकारी	
(क)	श्री संतोष कुमार झा	1.04.09 से 20.04.10 तक
(ख)	श्री चंद्रशेखर सिंह	21.04.10 से 31.03.11 तक

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के दौरान जो अभिलेख/संचिका/पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किये गये उनकी सूची परिशिष्ट–I(क) में और जो अभिलेख/संचिका/पंजी अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये उनकी सूची परिशिष्ट–I(ख) में दी गयी है।

4. लंबित कंडिकाएँ

नगर पंचायत द्वारा पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 712/09–10 के 26 कंडिकाओं में से 11 कंडिकाओं का अनुपालन किया जा चुका था। अंकेक्षण दल द्वारा नगर पंचायत से शेष 15 लंबित कंडिकाओं (कंडिका सं0–3,6,7,8,9,11,12,15,17,18,20,21,22,23,25) का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया था। साथ ही उक्त प्रतिवेदन के अलावा अन्य पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं, का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कहा गया था। परंतु नगर पंचायत के द्वारा अंकेक्षण दल के समक्ष लंबित कंडिकाओं से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया गया।

अंकेक्षण के अंत में लेखापाल के द्वारा जवाब दिया गया कि अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जायेगा। अतः लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखा परीक्षक को यथाशीघ्र भेजा जाय।

5. अंकेक्षण की प्रमुख उपलब्धियाँ

क्र0सं0	कंडिका सं0	विवरण	राशि(₹)
1	11	नहीं जमा/कम जमा	1,47,471.00
2	12	नक्शा पारित कराये बिना मकान बनाने वाले गृहस्वामियों से शुल्क की वसूली	3,11,000.00
3	14	सैरातों के न0प0 को हस्तांतरित नहीं होने के कारण राजस्व की भारी हानि	–
4	15(ख)	श्रम उपकर की कटौती नहीं	15,606.00
5	16	विलंब से पूर्ण की गयी योजनाओं में क्षतिपूर्ति की राशि नहीं काटना	1,43,456.00
6	17	दैनिक वेतन भोगियों पर अनियमित व्यय	3,43,623.00

6. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार नगरपालिका लेखा नियमवली–1928 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा विविध प्रकार के आंतरिक जाँच का प्रावधान किया गया है। पुनः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 97 में बिहार सरकार अथवा नगर निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रावधान के तहत दिन/प्रतिदिन के लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा करवाने का प्रावधान है।

परंतु, उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण नगर पंचायत के लेखाओं में विविध त्रुटियाँ दृष्टिगत हुई, जिनका विवरण आगे की कंडिकाओं में दिया गया है।

7. वित्तीय अधिदृश्य

(क) बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा 88 के अनुसार नगर पंचायत द्वारा आय–व्यय लेखा (वार्षिक लेखा) तैयार किया जाना था, जिसे नगर पंचायत द्वारा तैयार नहीं किया गया था।

हालाँकि अंकेक्षण में रोकड़ बही से उक्त आय–व्ययक मदवार तैयार किया गया था जिसका सार नीचे दिया गया है:–

क्र0सं0	वर्ष	2009–10	2010–11
1	प्रा0 शेष	82,24,189.90	92,45,658.90
2	वर्ष की प्राप्ति	51,76,499.00	50,59,178.50
3	कुल प्राप्ति (1+2)	1,34,00,688.90	1,43,04,837.40
4	व्यय	41,55,030.00	32,30,566.00
5	अंतशेष(3–4)	92,45,658.90	1,10,74,271.40

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–II पर)

अंकेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा दल द्वारा स्वयं वार्षिक सार तैयार किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा तैयार कर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(ख) खाताओं का संचालन

नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित खातों का संचालन किया गया था:–

क्र0 सं0	बैंक का नाम/खाता सं0	31.03.11 को अंतशेष
1	भारतीय स्टेट बैंक जनकपुर रोड (सीतामढी) खाता सं0–11456663707	34,94,245.17
2	भारतीय स्टेट बैंक जनकपुर रोड (सीतामढी) खाता सं0–11456672075	3,77,458.74
3	इलाहाबाद बैंक, जनकपुर रोड(सीतामढी) खाता सं0–4432	794577.00
4	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनकपुर रोड(सीतामढी) खाता सं0–2190799360	74,847.00
5	ट्रेजरी पास बुक	65,96,421.90
		1,13,37,549.81

उक्त खाताओं के लिए मात्र एक रोकड़ बही लेखापाल रोकड़ बही का संधारण किया गया था। 31.03.11 को लेखापाल रोकड़ बही का शेष ₹1,10,74,271.40 था।

इस प्रकार दोनों आँकड़ो के बीच अंतशेषों में अंतर ₹2,63,278.41(1,13,37,549.81–1,10,74,271.40) था।

उक्त अंतर का समाधान कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

8. बजट की स्थिति

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के धारा 82 के अनुसार मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष बजट का प्राक्कलन तैयार करेंगे और ऐसा बजट प्राक्कलन नगरपालिका के आय–व्यय का प्राक्कलन होगा। बजट प्राक्कलन मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात् यथाशीघ्र नगरपालिका के समक्ष पेश करेगा। धारा 84 के अनुसार, नगरपालिका 15 मार्च तक बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी तथा राज्य सरकार को भेजेगी।

वर्ष 2009–10 एवं वर्ष 2010–11 का बजट निम्नलिखित तिथियों को सरकार को भेजा गयाः–

वर्ष	तिथि
2009–10	13.07.09
2010–11	15.04.10

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बजट तैयार करने में आवश्यक समय सीमा का ध्यान नहीं रखा गया। इसका कारण अंकेक्षण को नहीं बताया गया।

पुनः बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय–व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करने से पाया गया कि बजट वास्तविकता से परे बनाया गया था। यथा, 2010–11 के बजट प्राक्कलन में आय एवं व्यय के निम्न मदों में अनुमान किया गया था लेकिन वास्तविक राशि शून्य थी।

आय(₹)

क्र0सं0	मद	बजट प्राक्कलन
1	स्टाम्प डयूटी	7,50,000.00
2	नाला निर्माण	25,00,000.00
3	बारहवाँ वित्त आयोग	15,00,000.00
4	पानी कल (Water Supply)	5,00,000.00
5	स्ट्रीट लाइटिंग	8,00,000.00
6	कम्यूनिटी हॉल	10,00,000.00
7	मूत्रालय शौचालय	10,00,000.00
8	प्रशासनिक भवन	38,00,000.00
9	म्यूनिसिपल सैरात	10,00,000.00
10	म्यूनिसिपल लाइसेंस फी	1,00,000.00

व्यय(₹)

क्र0सं0	मद	बजट प्राक्कलन
1	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	8,00,000.00
2	वॉटर सप्लाई	6,00,000.00
3	कम्यूनिटि हॉल	10,00,000.00
4	शौचालय	6,00,000.00
5	कार्यालय भवन	38,00,000.00
6	कानूनी भुगतान	1,50,000.00
7	कमीशन का भुगतान	2,00,000.00

इससे स्पष्ट है कि कुछ मदों में बजट प्राक्कलन एवं वास्तविक आय–व्यय में 100% का विचलन/अंतर था।

उक्त विचलन/अंतर का कारण नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण दल को नहीं बताया गया। हालाँकि अंकेक्षण के अंत में लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में तथ्यपरक बजट बनाया जायेगा।

अतः नगर पंचायत के अधिकारियों से अनुरोध है कि तथ्यपरक बजट बनाने के प्रयास शीघ्र प्रारंभ किये जाये।

9. सरकारी अनुदान की स्थिति

अनुदान पंजी का संधारण नगर पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। अतः अनुदानवार एवं अभिश्रववार अनुदानों के व्ययों का विवरण तथा 31.03.11 को अवशेष अनुदान की स्थिति आदि का विवरण अंकेक्षण में पता नहीं लगाया जा सका।

सिर्फ अनुदान की प्राप्ति का वर्षवार विवरण प्राप्त हुआ जो निम्न प्रकार से था:–

वर्ष	प्राप्त अनुदान(₹)
2009–10	44,74,176.00
2010–11	45,08,752.50
कुल	89,82,928.50

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–III पर)

अतः नगर पंचायत को सलाह दिया जाता है कि अनुदान पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित करें जिससे अनुदानों का विस्तृत विवरण का पता लगाया जा सके।

लेखापाल के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में अनुदान पंजी का संधारण किया जायेगा।

10. गृहकर

(क) गृह कर वसूली की दयनीय स्थिति

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2010–11 अंतर्गत गृहकर की माँग एवं वसूली की स्थिति निम्न थी:–

वर्ष	कुल माँग	वसूली	अवशेष	वसूली का प्रतिशत(%)
2009–10	60,55,979.00	3,25,832.00	57,30,147.00	5.38
2010–11	63,01,024.00	4,23,352.00	58,77,672.00	6.72

चूँकि नगर पंचायत के द्वारा गृहकर से संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः उपलब्ध कराये गये आँकड़ों की सत्यता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि वसूली का प्रतिशत अत्यंत निम्न था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति किये जाने पर लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि वसूली में वृद्धि के लिये प्रयास किये जा रहे है। परन्तु विवरण से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

अतः कार्यपालक का ध्यान कम वसूली की ओर आकृष्ट किया जाता है ताकि गृहकर वसूली का प्रतिशत बढाने के लिये ठोस प्रयास किये जा सके। इसके अलावे माँग एवं वसूली पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण कों दिखाया जाय।

(ख) शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित विभाग को जमा नहीं

नगर पंचायत के द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान शिक्षा उपकर के रूप में ₹92,003.00 तथा स्वास्थ्य उपकर के रूप में ₹92,003.00 की राशि वसूल की गयी। सरकारी निर्देशानुसार शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर के अंतर्गत वसूली गयी राशि में से 10% कलेक्शन चार्ज काटकर 90% राशि संबंधित विभाग को भेजनी थी। लेकिन नगर पंचायत सरकारी खाते में जमा नहीं की गयी राशि की गणना निम्नवत् है:–

वित्तीय वर्ष	**शिक्षा उपकर वसूल राशि**	**स्वास्थ्य उपकर वसूल राशि**
2009–10	40,037.95	40,037.95
2010–11	51,965.05	51,965.05
	92,003.00	92,003.00
10% वसूली शुल्क	9,200.00	9,200.00
सरकारी खाते में नहीं जमा की गयी राशि	82,803.00	82,803.00
कुल राशि	1,65,606.00	

लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि शिक्षा उपकर एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित विभाग को भेजी जायेगी।

अतः 2009–10 एवं 2010–11 की अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेस की वसूली गयी राशि का 90% राशि ₹1,65,606.00 सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करवाया जाय।

11. नहीं जमा/कम जमा ₹1,47,471.00

नगर पंचायत के विभिन्न कर संग्रहकर्त्ताओं द्वारा वसूल किये गये कर की राशि एवं उसके विरूद्ध जमा की गयी राशियों की जाँच से ज्ञात हुआ कि ₹1,47,471.00 की राशि कम/नहीं जमा की गयी थी। लेखापरीक्षा आपत्ति के उपरांत संबंधित व्यक्तियों द्वारा ₹1,21,221.00 की राशि भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0 11456663707 में जमा कर दी गयी। जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	रसीद सं0/दिनांक	वसूली गई राशि(₹)	जमा की गई राशि(₹)	कम जमा(₹)	कर संग्रहकर्त्ता का नाम एवं अंकेक्षण आपत्ति किये जाने के बाद जमा की राशि/दिनांक
1	विविध रसीद 901–1000/30.12.09–06.01.02 1101–1120/11.02.12–17.03.12	1,22,750.00	शून्य	1,22,750.00	श्री राम कुमार चौधरी 1,00,000.00 दिनांक–27.03.12
2	विविध रसीद 1066–1071/10.02.12–22.03.12	1850.00	शून्य	1850.00	श्री लालधारी प्रसाद 1850.00 दिनांक–27.03.12
3	एच रसीद 1942–1965/14.03.12–26.03.12	18,549.00	शून्य	18,549.00	श्री राजेन्द्र साह 18,549.00 दिनांक–29.03.12
4	एच रसीद 1447–1483/15.06.10–28.06.10	55,325.16	54,503.00	822.00 (approx)	श्री राजेन्द्र साह 822.00 दिनांक–29.03.12
5	आरक्षण रसीद 181–184/03.03.12–16.03.12	3500.00	शून्य	3500.00	श्री राम कुमार चौधरी
				1,47,471.00	1,21,221.00

शेष ₹26,250.00 (1,47,471.00–1,21,221.00) कम/नहीं जमा की राशि श्री राम कुमार चौधरी, सफाई जमादार के द्वारा नहीं जमा की गयी।

अतः ₹26,250.00 के कम/नहीं जमा की राशि श्री राम कुमार चौधरी, सफाई जमादार से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा की जाय एवं अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

12. नक्शा पारित करवाये बिना मकान बनाने वाले गृहस्वामियों से शुल्क की वसूली ₹3.11 लाख

नगर पंचायत, द्वारा उपलब्धय कराये गये आँकड़ो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में नगर पंचायत क्षेत्र में कुल 311 मकान(2009–10 में 214 तथा 2010–11 में 97) बगैर नक्शा पारित कराये ही बनाये गये। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट–IV पर)

नगर पंचायत बोर्ड के दिनांक 26.07.11 की सामान्य बैठक के प्रस्ताव सं0–4 के अनुसार उक्त वित्तीय वर्षों में नक्शा पास कराने का शुल्क ₹300.00 था। अतः स्पष्टतः बगैर नक्शा पास कराये मकान बनाने से उक्त वित्तीय वर्षों में नगर पंचायत को ₹93,300.00 (311 x 300) के राजस्व की हानि हुई।

पुनः उक्त प्रस्ताव सं0–4 के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बोर्ड द्वारा ऐसे ऐस निर्मित भवन का नक्शा पारित करने का शुल्क ₹1,000.00 लेने की स्वीकृति की गयी थी।

अतः ₹3,11,000.0 (311 x 1000) की वसूली संबंधित गृहस्वामियों से की जाय।

अंकेक्षण आपत्ति किये जाने पर लेखापाल ने जवाब दिया कि उक्त मकानों का नक्शा पास कराया जायगा एवं राशि की वसूली की जायगी।

13. बकाया मोबाईल टावर शुल्क–₹19.20 लाख

सरकारी दिशा निर्देशानुसार मोबाईल टावर शुल्क उसके प्रतिमीटर प्रतिवर्ष ₹2,000.00 की दर से वसूलने का प्रावधान था।

वर्ष 2008–09 से 2011–12 का 7 मोबाईल टावर का ₹19,20,000.00(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट–V पर) का शुल्क, जो नगर पंचायत द्वारा वसूलनीय था,अंकेक्षण आपत्ति किये जाने के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि मोबाईल टावर शुल्क की वसूली की जायगी।

अतः सुझाव दिया जाता है कि बकाया शुल्क ₹19,20,000.00 की वसूली हेतु यथाशीघ्र कदम उठाया जाये।

14. सैरातों को नगर पंचायत को हस्तांतरित न होने के कारण राजस्व की हानि

नगर पंचायत, जनकपुर रोड(सीतामढी) के अंतर्गत सार्वजनिक सम्पत्तियो के संबंध में आयुक्त एवं सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना का आदेश नामक संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत, जनकपुर रोड द्वारा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत स्थित सरकारी सम्पत्तियों के हस्तांतरण हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढी को पत्रांक 265 दिनांक 29.11.07 के द्वारा अनुरोध किया गया था। परंतु हस्तांतरण के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

पुनः सरकार के उप सचिव सह निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 5284/8.09.10 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत अवस्थित हाट, गुदरी बाजार, पोखरा एवं परती भूमि आदि सार्वजनिक सम्पत्ति नगर पंचायत की थी।

अतः नगर पंचायत द्वारा उक्त पत्र के आलोक में पुपरी हाट सह बाजार से कौड़ी वसूली करायी गयी परंतु अपर समाहर्त्ता, सीमामढी द्वारा अपने पत्रांक 49 दिनांक 8.01.11 से रोक दिया गया।

स्पष्टतः नगर पंचायत जनकपुर रोड क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक सम्पत्तियाँ/सैरात नगर पंचायत को अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया था। जिसके कारण नगर पंचायत द्वारा उक्त सैरातों की बंदोबस्ती/विभागीय वसूली नहीं की जा रही थी। फलस्वरूप नगर पंचायत को राजस्व की भारी क्षति हो रही थी।

अंकेक्षण आपत्ति किये जाने पर लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि सैरातों के हस्तांतरण के लिये कार्रवाई की जा रही है।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत सैरातों को कब्जे में लेने के लिए और ठोस प्रयास किये जाये जिससे राजस्व की वृद्धि हो सके तथा नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति सुदृढ हो सके।

15(क) अपूर्ण योजनाओं में लंबित अग्रिम–₹16.68 लाख

योजना पंजी एवं संचिकाओं के नमूना जाँच से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में कुल 15 योजनायें ली गई जिनकी प्राक्कलित राशि ₹52,01,739.00 थी। इन योजनाओं में से कुल 06 योजनायें अपूर्ण थी जिसमें कुल ₹16,67,531.00 का अग्रिम लंबित था। विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र0 सं0	मद	वर्ष	कुल ली गयी योजनायें	प्रा0 राशि(कुल)(₹)	अपूर्ण योजनाओं की सं0	लंबित अग्रिम(₹)
1	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना	2009–10	01	25,29,600.00	01	11,70,000.00
		2010–11	–	–	–	–
2	नागरिक सुविधा मद	2009–10	–	–	–	–
		2010–11	01	2,65,367.00	–	–
3	12 वीं वित्त मद	2009–10	02	2,80,000.00	02	1,71,531.00
		2010–11	02	3,28,868.00	01	–
4	BRGF मद	2009–10	09	16,97,904.00	02	3,26,000.00
		2010–11	–	–	–	–
	कुल	**2009–10**	**12**	**46,07,504.00**	**05**	**16,67,531.00**
		2010–11	**03**	**5,94,235.00**	**01**	–
			15	52,01,739.00	06	16,67,531.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VI पर)

अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि अपूर्ण योजनायें पूर्ण करायी जायेंगी।

अतः नगर पंचायत अधिकारियों का सलाह दी जाती कि अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कदम यथाशीघ्र उठाये जाये जिससे कि योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

(ख) श्रम उपकर की कटौती नहीं ₹15,606.00

बिहार सरकार, श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक 3714, दिनांक–15.09.10 के अनुसार निर्माण कार्य संबंधी योजनाओं से कुल लागत का 1% लेबर सेस के रूप में वसूल करना है तथा इसे संबंधित विभाग को जमा करना है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में कुल 9 पूर्ण योजनाओं में ₹15,60,623.00 का व्यय हुआ।(विवरण परिशिष्ट–VI में उपलब्ध)। परंतु अभिकर्त्ता विपत्र से 1 लेबर सेस की राशि ₹15,606.00 की कटौती नहीं की गयी।

अंकेक्षण आपत्ति किये जाने के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि श्रम उपकर की राशि वसूल की जायगी।

अतः नगर पंचायत अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि उक्त लेबर सेस की राशि ₹15,606.00 यथाशीघ्र संबंधित जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर संबंधित खाते में जमा किया जाय एवं अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

16. विलंब से पूर्ण की गई योजनाओं में विलंब शास्ति नहीं काटना–₹1,43,456.00

परिमाण विपत्र में दिये गये ' संविदा की शर्तें (Conditions of Contract) के कंडिका–2 के अनुसार अभिकर्त्ताओं/संवेदकों के समय से कार्य पूर्ण नहीं करने पर उसके प्रत्येक दिन की देरी के लिए ½ % (प्राक्कलित राशि का) की दर से अधिकतम 10% क्षतिपूर्ति(Compensation) के रूप में काटने का प्रावधान है।

परंतु नगर पंचायत के योजना संचिकाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि विलंब से कार्य पूर्ण करने के बावजूद संवेदकों के विपत्रों से क्षतिपूर्ति राशि ₹1,43,456.00 की कटौती नहीं की गयी।(विस्तुत विवरण परिशिष्ट–VII पर)

अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि राशि की वसूली अथवा अवधि विस्तार की अनुशंसा की जायगी।

स्पष्टतः विलंब से पूर्ण की गयी उक्त योजनाओं को अवधि विस्तार की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। अतः नगर पंचायत के अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि उक्त ₹1,43,456.00 की क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत कोष में जमा किया जाये तथा अगले अंकेक्षण को दिखावें।

17. दैनिक वेतन भोगियों पर अनियमित व्यय ₹3,43,623.00

लेखापाल रोकड़ बही से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान कुल ₹3,43,623.00 की राशि दैनिक कर्मचारियों को भुगतान की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:–

क्र0सं0	वर्ष	दैनिक वेतन भोगी कर्मी पर व्यय(₹)
1	2009–10	1,10,123.00
2	2010–11	2,33,500.00
		3,43,623.00

ध्यातव्य है कि बिहार सरकार के पत्रांक 7204/24.11.77, 4052/15.10.81 टेलीप्रिन्टर मेमो नं0 3527/02.08.08 एवं 103/87–06.05.92 द्वारा दैनिक भोगी कर्मचारी की नियुक्ति पर रोक लगायी गई है।

स्पष्ट है कि सरकार के रोक के बावजूद नगर पंचायत द्वारा विभिन्न दैनिक भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी और उनके परिश्रमिक पर ₹3,43,623.00 का व्यय किया गया।

अंकेक्षण आपत्ति के पश्चात् लेखापाल द्वारा जवाब दिया गया कि सरकार से दैनिक भोगी कर्मियों के पदों की स्वीकृति हेतु पत्र प्रेषित है।

अतः व्यय राशि के सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने तक ₹3,43,623.00 के व्यय को अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखा जाता है।

18. स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल की स्थिति

नगर पंचायत के द्वारा विभिन्न दिये गये आँकड़ो के अनुसार नगर पंचायत में स्वीकृत बल के विरूद्ध कार्यरत बल निम्न प्रकार से था:–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की स्वीकृत सं0	कार्यरत बल	रिक्ति
1	नगर प्रबंधक	01	01	–
2	प्रधान सहायक सह लेखापाल	01	01	–
3	टैक्स दारोगा सह रोकड़पाल	01	01	–
4	सफाई जमादार	01	01	–

110

5	आदेशपाल	01	01	–
6	सफाई मेहतर/मेहतरानी	05	04	01
		10	09	01

उक्त स्वीकृत बल सरकार के पत्र 933 दिनांक 20 फरवरी 1979 के आधार पर है। जो कि अप्रासंगिक हो चुका है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने जो भी अपने पत्रांक 3115 दिनांक 02.06.11 के द्वारा नगर निकायों के स्वीकृत बल को तर्कसंगत बनाने एवं नये पदो के सृजन की बात कही है।

अतः उक्त पत्र के आलोक में नये पदों के सृजन के लिये सरकार से आग्रह किया जाये जिससे नगर पंचायत के स्वीकृत बल तर्कसंगत हो सकें।

19. अग्रिम

नगर पंचायत द्वारा अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः 01.04.09 को लंबित अग्रिम, वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान दिये गये अग्रिम एवं उनका समायोजन तथा 31.03.11 को अग्रिम की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। परन्तु योजना पंजी/संचिकाओं के अनुसार 6(छः) अपूर्ण योजनाओं में ₹16,67,531.00 की अग्रिम राशि लंबित थी।

अतः नगर पंचायत द्वारा अग्रिम का सामंजन करवाया जाय एवं अग्रिम पंजी का संधारण किया जाय तथा अगले अंकेक्षण को दिखाया जाय।

20. कार्यपालक से वार्त्तालाप

अंकेक्षण के दौरान एवं अंतिम दिन को नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से अंकेक्षण के दौरान उठाये गये आपत्तियों पर चर्चा की गयी।

21. लेखा परीक्षा परिणाम

क्र0सं0		राशि(₹)
1	लेखा परीक्षा के दौरान वसूल की गयी राशि	1,21,221.00
2	वसूली के लिये सुझायी गयी राशि	1,85,312.00
3	लेखापरीक्षा,आपत्ति के अंतर्गत रखी गयी राशि	3,43,623.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट–VIII पर)

109

22. सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत द्वारा राजस्व उगाही की स्थिति बेहद निराशाजनक थी। एक ओर गृहकर की वसूली की स्थिति दयनीय थी, बगैर नक्शा पास कराये मकान बनाने से राजस्व की हानि होती थी, तो दूसरी ओर सैरातों के हस्तांतरित नहीं किये जाने के कारण राजस्व की भारी हानि हो रही थी। योजनाओं के क्रियान्वयन में संविदा की शर्तों का ध्यान नहीं रखा गया था। नगर पंचायत द्वारा प्रमुख अभिलेख जैसे अग्रिम पंजी, अनुदान पंजी, परिसम्पत्ति पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया जाता था। नगर पंचायत के कर्मचारियों के स्वीकृत बल की संख्या तर्कसंगत नहीं थी।

–हस्ता0–
कुमार प्रज्ञामूर्ति
(स0 ले0 प0 अ0)

–अनुमोदित–
उपमहालेखाकार(एस0 एस0–I)
–सह–
स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार

108

संo एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/ दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी,नगर पंचायत जनकपुर रोड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं/आपत्तियों का जवाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन महिनों के अंदर इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाय।

"यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।"

–ह0–
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार ,पटना

संo एल0 ए0/एस0 एस0–1/ श0 स्था0 नि0/14317/938 दिनांकः– 24.12.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

(i) प्रधान सचिव,बिहार सरकार,नगर विकास एवं आवास विभाग,पटना

(ii) जिलाधिकारी, सीतामढी

26/12/12
लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय,सोशल सेक्टर–I
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
बिहार, पटना

परिशिष्ट – I (क)

प्रतिवेदन की कंडिका 3 में संदर्भित

अभिलेख / संचिका / पंजी जो अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत किये गये

(1) लेखापाल रोकड़ बही
(2) कोषागार पास बुक
(3) बैंक पास बुक / स्टेटमेंट्स
(4) रुल रसीद, विविध रसीद एवं संबंधित भंडार पंजी
(5) दैनिक संग्रह पंजी
(6) योजना पंजी
(8) योजना संचिकायें
(9) बजट पंजी
(10) प्रोसिडिंग बुक
(11) मोबाईल टावर शुल्क से संबंधित संचिका
(12) सैरातों के हस्तांतरण से संबंधित संचिका
(13) अग्रिम पंजी
(14) चेक भुगतान पंजी

परिशिष्ट - I (ख)

प्रतिवेदन की कंडिका 3 में संदर्भित

अभिलेख/संचिका/पंजी जो अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये

(1) वार्षिक लेखा
(2) आय-व्यय का मासिक एवं त्रैमासिक लेखा
(3) अनुदान पंजी
(4) ऋण पंजी
(5) ऋण विनियोग पंजी
(6) अग्रिम पंजी
(7) अभियोजन पंजी
(8) समायोजन पंजी
(9) भविष्य निधि लेजर
(10) निक्षेप पंजी (Deposit Register)
(11) निवेश पंजी
(12) भंडार पंजी
(13) रोकड़ पुस्तिका
(14) ईंधन खाता
(15) अंकेक्षण पंजी (Audit register)
(16) सम्पत्ति पंजी
(17) निर्धारण पंजी
(18) वाहन खाता (Vehicle account)
(19) मांग एवं संग्रह पंजी
(20) परिशिष्ट I (क) में वर्णित अभिलेखों को छोड़कर अन्य कोई अभिलेख।
(21) खैरात पंजी

[signature]

1105

नगर पंचायत, [illegible]

Annual A/c (2009-10)

(19)

परिशिष्ट – II

प्रतिवेदन की कंडिका 7 (क) में संदर्भित

1. प्रा० शेष – 82,24,189=90

2. आय
(i) स्वयं के स्रोत से – 4,96,663=00 ~~3,46,663=00~~
(ii) मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना – 14,88,000=00
(iii) कबीर अंत्येष्टि योजना – 1,80,000=00
(iv) वी० आर० जी० एफ० – 12,65,070=00
(v) वेतन भत्ता – 2,96,791=00
(vi) 12 वां वित्त – 10,94,928=00
(vii) मैचिंग ग्रांट – 87,587=00
(viii) निर्वाचित सदस्यों के लिये भत्ता – 61,800=00
(ix) ब्याज – 2,05,660=00 ~~1,7,4,128=00~~

51,76,499=00

3. कुल आय (1+2) – 1,34,00,688=90

4. व्यय –
(i) arrear भुगतान – 2,49,501=00
(ii) वेतन भुगतान – 12,60,521=00
(iii) S.J.S.R.Y – 4,25,500=00
(iv) कबीर अंत्येष्टि – 90,000=00
~~(v) [illegible]~~
(v) योजना – 17,44,523=00
(vi) बैंक कमीशन – 760=00
(vii) स्थापना एवं विविध – 3,15,425=00
(viii) मिलन केन्द्र उद्योग को अनुदान – 68,800=00

41,55,030=00

(5) अंतशेष (3-4) – 92,45,658=90

A.A.O

Annual Account (2010-11) (21)

परिशिष्ट-प

1. प्रारंभिक शेष - 92,45,658=90.

(2) आय :-

(i) स्वयं के स्रोत से - 406,222=00.

(ii) कबीर अंत्येष्टि अनुदान - 58,000=00.

(iii) ब्याज - 75,762=00

(iv) राशन कार्ड के लिये अनुदान - 1728=50

(v) डीजल सब्सिडी - 175640=00 ~~36,704=00~~

(vi) सिटी मैनेजर के लिये फिक्स्ड ऑनरेरियम - 1,40,000=00.

(vii) निर्वाचित सदस्यों के लिये भत्ता - 61,800=00.

(viii) वृद्ध कार्य - 68,442=00

(ix) बी० आर० जी० एफ० - 6,24,230=00

(x) ट्रेनिंग एवं ऑनरेरियम (सुपरवाइजर) - 87,100=00

(xi) फेमिली स्लम योजना - 90,000=00.

(xii) वेतन अनुदान - 2,01,124=00

(xiii) सड़क निर्माण अनुदान - 20,00,000=00.

(xiv) तेरहवां - 5,00,000=00

(xv) मैचिंग ग्रांट - 5,69,130=00

50,59,178=50

(3) कुल आय (1+2) - 1,43,04,837=40.

(4) व्यय -

(i) योजना - 15,14,654=00 ~~13,25,654=00~~.

(ii) ट्रैक्टर का बैट्री क्रय - 6015=00

(iii) कबीर अंत्येष्टि - 45,000=00

(iv) बैंक कमीशन - 703=00

(v) वेतन एवं स्थापना - 1179326=00 [~~11,56,188=00~~ + ~~23,138=00~~]

(vi) arrear भुगतान - 25202=00.

(vii) विज्ञापन - 14636=00

(viii) निर्वाचित सदस्यों का भत्ता - 64016=00

(ix) ग्राम शिल्प उद्योग एवं मिनल शिल्प उद्योग - 43,316=00

(x) विविध - 1,42,600=00

~~(xi) स्वीकी~~

(xi) फेमिली सब्सिडी - 90,000=00

* (xii) छठ पूजा गड्ढा भराई - 17,000=00

(xiii) जनगणना कर्मचारी को भुगतान - 87,100=00.

32,30,566=00

(5) अंतशेष (3)-4 - 1,10,74,271=40

कण्डिका – III

प्रतिवेदन की कंडिका में संकलित (27)

सरकारी अनुदान (2009-10)

नगर पंचायत जनकपुररोड,
सीतामढ़ी

क्र० सं०	अनुदान की राशि	पत्रांक / दिनांक	मद
1.	14,88,000=00	15/25.02.09	मुख्यमंत्री नगर विकास योजना
2.	90,000=00	100/03.06.09	कबीर अंत्येष्टि योजना
3.	90,000=00	702/23.09.09	– तदैव –
(2+3)	=1,80,000=00		
4.	5,16,215=00	———	बी० आर० जी० एफ०
5	87,633=00	———	– तदैव –
6.	6,61,222=00	03/05.01.10	– तदैव –
(4+5+6)	= 1265070=00		
7.	2,96,791=00	130/21.10.09	वेतन अनुदान
8.	5,90,076=00	27/17.03.10	12 वाँ वित्त
9.	2,52,426=00	28/17.03.10	– तदैव –
10.	2,52,426=00	41/25.03.10	– तदैव –
(8+9+10)	=10,94,928=00		
11.	87,587=00	26/16.03.10	मैचिंग ग्रांट
12.	61,800=00	30/19.03.10	निर्वाचित सदस्यों का भत्ता अनुदान

कुल = 44,74,176=00

(हस्ताक्षर)
मनोरंजन प्र० सिंह
ले०प०

परिशिष्ट – ख (२४)

सरकारी अनुदान (२०१०–११)

नगर पंचायत,
जनकपुररोड, सीतामढ़ी

क्र० सं०	अनुदान की राशि	पत्रांक/दिनांक	मद	उद्देश्य
1.	58,000=00	06/31.03.10	कबीर अंत्येष्टि योजना	
2.	17285=50=00	–	राशन कार्ड मजदूरी	
3.	36,70,4=00	–	डीजल सब्सिडी	
4.	1,40,000=00	6243/03.11.10	नगर प्रबंधक के लिए मानदेय अनुदान	
05.	61,800=00	203/19.04.10	निर्वाचित सदस्यों का भत्ता अनुदान	
06.	6,24,930=00	644/23.11.10	बी॰ आर॰ जी॰ एफ॰	
07.	87,100=00	–	जन गणना प्रगणक एवं पर्यवेक्षक के भत्ता अनुदान	
08.	1,38,956=00	–	डीजल अनुदान	
09.	90,000=00	187/10.02.11	पारिवारिक लाभ योजना	
10	2,01,124=00	125/20.10.10	वेतन अनुदान	
11.	[illegible]0,00000=00	4854/20.08.10	सड़क निर्माण	
12.	5,00,000=00	4713/17.08.10	13वाँ वित्त	
13.	5,69,130=00	1960/26.03.11	मैचिंग ग्रांट	
कुल	[illegible]5,08,752=50			

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत
जनकपुररोड, सीतामढ़ी

ह०
कार्यपालक पदा०
न०पं०

परिशिष्ट - IV (प्रतिवेदन की कंडिका 12 में संदर्भित)

कार्यालय नगर पंचायत जनकपुर (छ.ग.)

बगैर नक्शा पास कराये निर्मित मकानों की सं०

वर्ष - 2009-10

वार्ड संख्या	बगैर नक्शा पास कराये निर्मित मकानों की संख्या	
1	18	
2	20	
3	12	
4	20	
5	20	
6	07	
7	08	
8	33	
9	28	
10	12	
11	36	

कुल → 214

वर्ष - 2010-11

वार्ड संख्या	बगैर नक्शा पास कराये निर्मित मकानों की संख्या	
1	06	
2	12	
3	09	
4	07	
5	16	
6	00	
7	08	
8	10	
9	08	
10	05	
11	16	

कुल → 97

राजेन्द्र साहू
28.3.12
[illegible]
न.पं.

परिशिष्ट-V

नगर पंचायत जनकपुररोड, सीतामढ़ी (31)

(प्रतिवेदन की कंडिका 13 में संदर्भित)

Outstanding Mobile Tower licence fee

During establishment year 2008-09 to 2011-12.

SL. NO.	Address.	Name of Mobile comp	Height.	Date of erection. Year.	Paid amount	Total Dues upto 31.03.11.
1.	Anapurna Rice Meal, Ward No-10.	B.S.N.L	40m.	2008-09 to 2010-12	—	3,20,000/-
2.	Vania Toli Ward No-3.	RIM	50m	-do-	—	4,00,000/-
3.	Anapurna Rice Meal Ward No-10	AIRCEL	30m	-do-	~~80,000/.~~ 60,000/-	1,80,000/-
4.	Club chowk Ward No-10	AIRCEL	40m	-do-	80,000/-	2,40,000/-
5.	Behind State Bank, Ward No-11.	AIRTEL	30m.	-do-	—	2,40,000/-
6.	Behind state Bank, ward No-11.	IDEA.	30m	-do-	—	2,40,000/-
7.	Jaitpur, Ward No-04	TATA INDICOM	50m	-do-	1,00,000/-	3,00,000/-
8.	Singyali Road, Ward No-05	RELIANCE	40m	-do-	—	3,20,000/-
					2,40,000/.	22,40,000/.
						-3,20,000
						19,20,000/-

मनोरंजन प्र० सिंह
ले० प०

Shankar Oxford

परिशिष्ट – VI (प्रतिवेदन की कंडिका 15 में संदर्भित) (12)

नगर पंचायत, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना मद से ली गयी योजनाओं की स्थिति

क्र0	योजना सं0/वर्ष	योजना का नाम	संवेदक	प्रा0 राशि (₹)	31.03.11 तक भुगतान	भौतिक स्थिति
01.	03/09-10	जनकपुर रोड थाना ऑफिस से इस्लिहार गुमटी भगवती पथ P.C.C. एवं पक्का नाला निर्माण	श्री सुधीर कु0 झा	25,99,600.00	11,70,000.00	अपूर्ण

नोट :- इस मद में अन्य कोई योजना नहीं ली गयी है।

A.A.O

98

(13) (1)

परिशिष्ट क - ??

नगर पंचायत, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी

नागरिक सुविधा मद से की गयी योजनाओं की स्थिति (2010-11)

क्र०सं०	योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	संवेदक का नाम	प्रा० राशि (₹)	31.03.11 तक भुगतान	भौतिक स्थिति
01.	01/10-11	पुपरी बाजार वैश्य अतिथि भवन (बाटा गली) में परिसर भाग में 255 फीट में PCC निर्माण	श्री नवीन कुमार ठाकुर पिता - शिव नारायण ठाकुर ग्राम - मदहा सीतामढ़ी	2,65,367=00	2,39,000=00	पूर्ण

नोट :- 2009-10 में इस मद में कोई योजना नहीं ली गयी है।

A.A.O

परिशिष्ट - क

(14)

(1)

नगर पंचायत, जनकपुर रोड के
12वीं ~~[struck]~~ से ली गयी योजनाओं की स्थिति (2009-10)

क्रमांक	योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	संवेदक का नाम	प्रा० राशि (₹)	31.03.11 तक भुगतान	भौतिक स्थिति
01.	01/09-10	नगर पंचायत, जनकपुर रोड अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर भेपर लाइट लगाने के संबंध में (पांच वर्षों में)	श्री अमित कुमार, श्याम इंटरप्राइजेज डुमरा, सीतामढ़ी	1,30,000=00	60,000=00	अपूर्ण
02.	02/09-10	नगर पंचायत, जनकपुर रोड के अंतर्गत विभिन्न स्थलों पर भेपर लाइट लगाने के संबंध में।	बिहार रीजन्स डुमरा, सीतामढ़ी	1,50,000=00	1,11,531=00	अपूर्ण
				2,80,000=00	1,71,531=00	

2010-11

क्रमांक	योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	संवेदक का नाम	प्रा० राशि (₹)	31.03.11 तक भुगतान	भौतिक स्थिति
01.	01/10-11	वार्ड नं० -1 में रामलखन आधार स्टोर से मस्जिद चौक तक पथ का जीर्णोद्धार एवं नाला मरम्मति कार्य	श्री नवीन कुमार ठाकुर पिता - शंभु नारायण ठाकुर ग्राम - ~~[struck]~~ महुआ, सीतामढ़ी	64,468=00	~~58,932=00~~ 55,000=00	पूर्ण
02.	02/10-11	~~श्री नाथ राय, पिता - स्व० राम स्वार्थ राय, ग्राम - चैनपुरा, सीतामढ़ी~~ वार्ड नं० -8 में PWD पथ से श्यामपुर भंडान (मुजफ्फरपुर) जाने वाली सड़क से राम सनेही दास के घर तक मिट्टी भराई एवं सड़क निर्माण।	श्री नाथ राम ग्राम - चैनपुरा, सीतामढ़ी।	2,64,400=00	शून्य	अपूर्ण
				3,28,868=00	55000=00	

(initials)

अनुलग्नक – VI

नगर पंचायत, जनकपुर रोड (सीतामढ़ी)

BRGF के अंतर्गत 2009-10 में ली गयी योजनाओं की स्थिति

(15) (17)

क्रमांक	योजना का वर्ष	योजना का नाम	संवेदक का नाम	प्रा० राशि (रु)	31.03.11 तक भुगतान	भौतिक स्थिति
01.	1/09-10	वार्ड नं०-1 में कमेश्वर राय के घर से कर्पूरी द्वार की ओर P.C.C.	श्री सुधीर कुमार झा, सीतामढ़ी	1,73,230=00	1,61,000=00	अपूर्ण
02.	2/09-10	वार्ड नं०-11 में स्टेट बैंक के बगल से डा० रामनाथ प्र० के घर तक P.C.C.	श्री सुधीर कुमार झा, सीतामढ़ी	1,76,745=00	1,65,000=00	अपूर्ण
03.	03/09-10	योजना रद्द कर दी गयी है।				
04.	04/09-10	वार्ड नं०-7 में केवल दास के घर होते हुए बिहार सरकार चौकी तक नाला निर्माण	श्री तिलोक प्रसाद गुप्ता, जनकपुर रोड	2,72,000=00	2,55,421=00	पूर्ण
05.	05/09-10.	वार्ड-2 में रेलवे पहुँच पथ से सत्तुरा साह के घर होते हुए बजरंगी पंडित के घर तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग	श्री तिलोक प्र० गुप्ता नगर पंचायत जनकपुर रोड	192,800=00	1,87,101=00	पूर्ण
06.	06/09-10	नगर पंचायत, वार्ड नं०-5 सिंगियाही पथ में शिव जी साह के घर से पुरन सत्येन्द्र पाठक के घर तक पक्का नाला निर्माण	श्री नाथ राय, ग्राम–चैनपुरा	2,15,365=00	1,99,117=00	पूर्ण
				10,30,110=00	9,67,639=00	

ह०/–
A.A.O

परिशिष्ट 07 - ग (16) (2)

नगर पंचायत, जनकपुर रोड (सीतामढ़ी)

बी० आर० जी० एफ० के अंतर्गत 2009-10 में ली गयी योजनाओं की स्थिति

B/F - 1030110=00 B/R - 9,67,639=00

क्रमांक	योजना सं० / वर्ष	योजना का नाम	संवेदक का नाम	प्राक्क० राशि (₹)	31.03.11 तक भुगतान	भौतिक स्थिति
07.	~~नगर पंचायत~~ 07/09-10	नगर पंचायत वार्ड नं०-4 जैतपुर मुहल्ला चन्द्र किशोर पासवान के घर से राम सेवक पासवान के घर तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग	श्री नाथ राम ग्राम - जैतपुर	2,01,800=00	1,86,626=00	पूर्ण
08.	08/09-10	नगर पंचायत वार्ड नं०-3 जालान अतिथि भवन के पश्चिम भाग से बड़ी ठाकुर बाड़ी P.C.C. पथ निर्माण	श्री प्रमोद शर्मा नगर पंचायत, जनकपुर रोड	1,28,095=00	1,17,598=00 ~~1,17,183=00~~	पूर्ण
09.	09/09-10	नगर पंचायत वार्ड नं०-10 रेलवे गुमटी से कैलाश चौधरी के घर से भगवती पथ तक P.C.C.	श्री प्रमोद शर्मा, नगर पंचायत, जनकपुर रोड	1,52,235=00	1,43,991=00	पूर्ण
10.	10/09-10	नगर पंचायत वार्ड नं०-06 [illegible] अतिथि भवन से मुख्य ~~[illegible]~~ पथ (बालागली) में नाली निर्माण	श्री प्रमोद शर्मा, नगर पंचायत, जनकपुर रोड	1,85,664=00	1,76,769=00	पूर्ण
				16,97,904=00	1,592,623=00	

वर्ष	ली गयी योजनाओं की सं०	पूर्ण योजनाओं की सं०	अपूर्ण योजनाओं की सं०	पूर्ण योजनाओं की प्राक्क० राशि	पूर्ण योजनाओं पर भुगतान (31.3.11)	अपूर्ण योजनाओं की प्राक्क० राशि	अपूर्ण योजनाओं पर भुगतान (31.03.11)
2009-10	09	07	02	~~15,38,904=00~~ ~~11,86,959=00~~ 13,47,959=00	12,66,623=00	3,49,945=00	3,26,000=00
2010-11	शून्य	-	-	-	-	-	

Note :- वित्तीय वर्ष 2010-11 में बी० आर० जी० एफ० से कोई योजना नहीं ली गयी है।

A. A. O.

परिशिष्ट – VII (प्रतिवेदन की कंडिका 1.6 में समाविष्ट),

10% compensation charge due to delay in work by contractor नि० आ० सी० क्रमांक – 2009-10 (08)

नगर पंचायत, जनकपुररोड

क्रमांक 1	योजना सं०/वर्ष 2	योजना का नाम 3	संवेदक का नाम 4	प्रा० राशि 5	कार्यारंभ तिथि 6	कार्य पूर्ण की तिथि 7	विलंब महीना/दिन 8	दंड 9
01.	04/09-10	वार्ड नं०-7 में केवल प्रसाद के घर होते हुए बिहार सरकार चौकी तक नाला निर्माण	श्री तिलक प्र० गुप्ता, जनकपुररोड	2,72,000.00	10.12.09	30.12.09	20 दिन	27,200.00
02.	05/09-10	वार्ड नं०-2 में रेलवे पहुँच पथ से सरयुग साह के घर होते हुए बजरंगी पंडित के घर तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग	– तदैव –	1,92,800.00	10.12.09	20.04.10	4 महीना 10 दिन	19,280.00
03.	06/09-10	वार्ड नं० 5 खिंगयाही पथ में शिवजी साह के घर से पूरब सत्येन्द्र पाठक के घर तक पक्का नाला निर्माण	श्री नाथु राय, ग्रा०-चैनपुर।	2,15,365/-	10.12.09	26.05.10	5 महीना 16 दिन	21536.50 ≈ 21537.00
04.	07/09-10	वार्ड नं०-04 में मैनपुर मुहल्ला चन्द्रकिशोर पासवान के घर से राम सेवक पासवान के घर तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग	– तदैव –	2,01,800/-	10.12.09	26.05.10	– तदैव –	20,180.00
05.	08/09-10	वार्ड नं० 3 गुलाम अतिथि भवन के पश्चिम भाग से बड़ी ठाकुरबाड़ी P.C.C पथ निर्माण	श्री प्रमोद शर्मा न०प० जनकपुररोड	1,28,095/-	– तदैव –	11.03.10 ~~12.06.10~~	3 महीना	12810.00
								1,01,007.00

A.A.

मद - BRGF. (09) प्रपत्रि 07 - ज्ञा

B/F - 1,01,007=00

(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9.
06	09/09-10	वार्ड न० 10 रेलवे पूरब गुमटी में कैलाश चौधरी के घर से भगवती पथ तक P.C.C	श्री प्रमोद शर्मा न०प० जमालपुर	1,52,235/-	12.12.09	06.12.09	शून्य	शून्य
07	10/09-10	वार्ड न० 06 वैश्य अतिथि भवन से मुख्य पथ (वायगली) में नाली निर्माण	—वही—	1,85,664/-	—वही—	11.06.10	6 महीना	18566.00
								1,19,573=00.

नोट! – 2010-11 में बी० आर० जी० एफ० मद में कोई योजना नहीं ली गयी है।

A.A.O.

Shankar Oxford

न०पं०, जनकपुर रोड, सीतामढ़ी

10% compensation charge due to delay in work by contractor (10)

परिशिष्ट - ग11

नागरिक सुविधा मद

क्र०सं०	योजना सं०/वर्ष	योजना का नाम	संवेदक	प्रा०राशि (रु)	कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्णता की तिथि	कार्य पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलंब	दंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.	01/10-11	पुपरी बाजार वैश्य अतिथि भवन (वाटा गली) में परिश्रम भाड़ा में 255 फीट में PCC निर्माण	श्री नवीन ठाकुर	2,65,367=00	03.02.11	21.2.11	18 दिन	23883=00
								23,883=00

A.A.O

परिशिष्ट–VIII
(प्रतिवेदन की कंडिका 21 में संदर्भित)
लेखा परीक्षा का परिणाम

क्र0सं0	कंडिका सं0	अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि(₹)	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि(₹)	आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि(₹)
1	11	1,21,221.00	26,250.00	–
2	15(ख)	–	15,606.00	–
3	16	–	1,43,456.00	–
4	17	–	–	3,43,623.00
		1,21,221.00	**1,85,312.00**	**3,43,623.00**